

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
57वीं बैठक दिनांक 12 मई, 2016
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 57वीं बैठक दिनांक 12 मई, 2016 को श्री रणवीर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन; क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून एवं कानपुर; मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, समस्त बैंक एवं शासकीय विभागों के शीर्ष अधिकारियों तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों / बीमा कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

बैठक में सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन एवं मंचासीन शीर्ष अधिकारियों द्वारा एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा बैंकों हेतु तैयार वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2016-17 की पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें कुल ₹ 16,385 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री बी. के. दास, महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अपर मुख्य सचिव, सचिव (वित्त) उत्तराखंड, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनियों, एवं बैंकों के उच्च अधिकारियों का एस.एल.बी.सी. की 57वीं बैठक में पधारने पर स्वागत एवं अभिनन्दन किया। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में समस्त बैंकों द्वारा किए गए विशेष कार्यों एवं उपायों से सदन को अवगत कराया।

एम.एस.एम.ई. :

उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में बैंकों ने रु. 17,829 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं, जिसमें से ₹ 4,859 करोड़ सूक्ष्म इकाइयों को वितरित किए गए हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मार्च, 2016 तक कुल ₹ 1,386 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत निर्धारित 1,036 आवेदन के लक्ष्य के सापेक्ष 1,134 व्यक्तियों को ऋण वितरित किए गए हैं।

स्वयं सहायता समूह :

उन्होंने अवगत कराया कि राज्य के प्रमुख बैंकों ने 01 से 20 मार्च, 2016 तक 4,984 ग्राम स्तरीय जागरूकता कैम्प आयोजित कर 1,641 स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज किया गया।

उन्होंने राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया कि एस.एच.जी. को दिए जाने वाले ₹ 5.00 लाख तक के ऋणों को स्टॉम्प शुल्क से मुक्त रखने का अधिसूचना जारी करें, ताकि समूह बैंक ऋण लेने में आगे आ सकें।

ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी :

उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि राज्य में उनके कार्य क्षेत्र में जहाँ ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहाँ सोलर वी.-सैट स्थापित करने हेतु नाबार्ड को प्रस्ताव प्रेषित करें, जिसके लिए प्रति वी.-सैट लगभग ₹ 4.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

“इस पर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने बैंकों को निर्देशित किया कि वे 12 जून, 2016 तक अपने प्रस्ताव नाबार्ड को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें।”

ऋण-जमा अनुपात :

उन्होंने सदन को बताया कि मार्च, 2016 में राज्य का ऋण-जमा अनुपात लगभग 59 % है, जो पिछली तिमाही से 01 प्रतिशत अधिक है, फिर भी इसे बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को प्रभावी कदम उठाने होंगे।

वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के लक्ष्य ₹ 14,524 के सापेक्ष बैंकों ने ₹ 12,973 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं, जोकि 89% है।

आरसेटी

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अनुरोध पर आरसेटी संस्थान, पिथौरागढ़ के परिचालन का कार्य भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए जाने पर सहमति हुई है, जिसके लिए एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिला रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत में आरसेटी संस्थान हेतु प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि, भवन निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए शासन से अनुरोध है कि वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराए जाने की समुचित व्यवस्था की जाए।

अंत में उन्होंने सदन में उपस्थित सभी का धन्यवाद किया और विश्वास प्रकट किया कि सभी बैंक, राज्य सरकार के सहयोग से राज्य के विकास में प्रत्यनशील रहेंगे।

डा. रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन

अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने सुझाव देते हुए निर्देशित कि ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय एक कमेटी का गठन किया जाए, जो स्थानीय संसाधन एवं संभाव्यता आधारित बैंकयोग्य स्कीम बनाएं, जिससे ऋण राशि प्रति व्यक्ति अधिक उलब्ध करायी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति कृषकों को जागरुक किया जाए ताकि बैंकों द्वारा उनकी फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से करवाया जा सके और उसकी जानकारी जनसाधारण तक पहुँचाई जाए।

उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित किए गए आवेदनों को बैंक बिना किसी विशेष कारण बताए, आवेदन वापस / निरस्त न करें और साथ ही साथ विभागों को चाहिए कि वे आवेदनों को डिजिटाइजेशन कर ऑन-लाइन प्रणाली के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करेंगे तो आवेदनों के संबंध में प्रगति को मॉनिटर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एस.एच.जी. द्वारा निर्मित उत्पादों को ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन की व्यवस्था की जाए ताकि वे ऑन-लाइन शॉपिंग पोर्टल पर अपने उत्पाद बेच सकें।

श्री अमित नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने कहा कि विगत में बैंकों द्वारा जिस अनुपात में ग्राम स्तरीय जागरूकता कैम्प आयोजित किए गए उस अनुपात में एस.एच.जी. लिंकेज नहीं हो पाए हैं। इस हेतु उन्होंने बैंकों से कहा कि वे पुनः कैम्प आयोजित करें और अधिक से अधिक संख्या में एस.एच.जी. लिंकेज करवाएं और वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक किया जाए।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने सदन को आश्वासन दिया कि ₹ 5.00 लाख तक के एस.एच.जी. ऋण को स्टॉम्प शुल्क से मुक्त रखने की शासकीय अधिसूचना शीघ्र निर्गत कर दी जाएगी।

उन्होंने संबंधित विभागों को पुनः निर्देशित किया कि ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाहियों में क्रमशः 33%, 33% एवं 34% के अनुपात में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

श्रीमती के. एस. ज्योत्सना, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून ने कहा कि बैंक अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता कैम्प आयोजित कर जनसाधारण को बैंकिंग सुविधाओं से संबंधित जानकारियों के प्रति जागरूक करें।

उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के आवेदन पत्रों का शाखाओं में नियमित रूप निगरानी करें एवं निर्धारित समयसीमा के अंदर ही उनका निस्तारण करवाएं।

श्री डी. एन. मगर, मुख्य महाप्रबंधक, नाबाई

मुख्य महाप्रबंधक, नाबाई ने बैंकों से कहा कि ग्राम्य स्तरीय एस.एच.जी. कैम्प आयोजित करने से संबंधित जानकारी / प्रस्ताव शीघ्र नाबाई को प्रस्तुत करें, ताकि बैंक शाखाओं को प्रति कैम्प हेतु ₹ 1000/- की धनराशि सहायतार्थ उपलब्ध करायी जा सके। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि इसका द्वितीय चरण शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा।

श्री एम. बी. दिवाकर, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने डा. श्री रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव एवं सभी शीर्ष अधिकारियों को 57वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लिये हार्दिक धन्यवाद किया। उन्होंने सभी बैंकों की ओर से आश्वासन दिया कि अधिक से अधिक ऋण वितरित कर, राज्य में ऋण प्रवाह में बढ़ोतरी करेंगे।

उन्होंने बैठक में पधारे शासन के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबाई, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये और मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्रवाई की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया।
